

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...C/5916.../

जबलपुर, दिनांक 04 / 09 / 2025

श्री जे. आंजनेयुलू, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को बिना अनुमति तथा आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 17.06.2025 से 24.06.2025 तक 8 दिन, दिनांक 28.07.2025 से 30.07.2025 तक 3 दिन एवं दिनांक 02.08.2025 से 13.08.2025 तक 12 दिन का अवैतनिक किया जाता है साथ ही आगामी आदेश तक वेतन का भुगतान रोका जाता है।

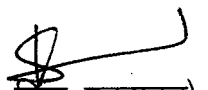

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक ...C/5917.../

जबलपुर, दिनांक 04 / 09 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
6. श्री जे. आंजनेयुलू, कोर्ट अटेंडेन्ट, यूनिक कोड नं. 180018005, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)